

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
84 / 2025

दायर दिनांक
12.05.2025

निर्णय दिनांक
12.06.2025

अनवान

1. पवन कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति जैन आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. चतरभुज पुत्र गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण पुत्र गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. अमरती बाई पत्नी भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. भवानीराम पुत्र गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. हंसराज पुत्र भूरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री अनिल नामधर
एक तरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 232 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 718 रकबा 0.26 हैक्ट0, आराजी संख्या 725 रकबा 0.59 हैक्ट0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.85 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी




राजेश सुवालका
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरगाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहरा की गपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात भौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 232 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 718 रकवा 0.26 हैक्ट0, आराजी संख्या 725 रकवा 0.59 हैक्ट0 कुल कित्ता 02 कुल रकवा 0.85 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का रथगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में शिजाई जावें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़